न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/126/2021 रजि0 न0 2021/232

अपीलार्थीः–

श्री हीरालाल तिवाड़ी पुत्र श्री नारायण, निवासी मुरलीपुरा तह0 राजगढ़, जिला अलवर, (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 07.09.2021

8. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 03.07.2021 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
9. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
10. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 31.08.2021 को उपस्थित आवें।
11. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2021/1429 दिनांक 04.08.2021 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित करते हुए जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गई आर0टी0आई0 आवेदन दिनांक 03.07.2021 के परिपेक्षय में पत्र सं0 1294 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख सर्च कर उपलब्ध कराने वाली सूचना होने के कारण पूर्व आवेदन दिनांक 03.07.2021 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
12. लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
13. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
14. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)

जिला कलक्टर, अलवर